प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 10.09.2025

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया हुआ ए.सी. का कॉपर वाला पाइप 05 किलो 300 ग्राम व 01 ए.सी, आउटडोर बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 08.09.2025 को थाना कौशाम्बी पर वादी की तहरीर के आधार पर अज्ञात चोर द्वारा वादी की एसी की आउटडोर यूनिट से तार व अन्य सामान चोरी कर ले जाने के संबंध में धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 09.09.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान यशोदा हास्पिटल के सामने सर्विस रोड से 03 अभियुक्त 1. हसमुद्दीन पुत्र अब्दुल गफ्फूर निवासी म0नं0 154 जवाहर पार्क साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष, 2. शिवम पुत्र राजेश निवासी झुग्गी झोपडी भौवापुर थाना कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष व 3. जाबिर पुत्र शाकिर निवासी किराए का मकान डी-17 भौवापुर कौशाम्बी उम्र करीब 25 वर्ष को चोरी किया हुआ ए.सी. का कॉपर वाला पाइप 05 किलो 300 ग्राम व 01 ए.सी. आउटडोर सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि तीनों अभियुक्त कौशाम्बी क्षेत्र में A.C के सामान को रात में चोरी कर उसे बेच देते है और पैसों को आपस में बाँट लेते हैं। तीनों अभियुक्तों के कब्जे से जो A.C का सामान मिला है वो इन्होने करीब 4-5 दिन पहले राधा कृष्ण लेन के एक मकान से रात में चोरी किया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. हसमुद्दीन पुत्र अब्दुल गफ्फूर निवासी म0नं0 154 जवाहर पार्क साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष।
2. शिवम पुत्र राजेश निवासी झुग्गी झोपडी भौवापुर थाना कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष।
3. जाबिर पुत्र शाकिर निवासी किराए का मकान डी-17 भौवापुर कौशाम्बी उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

चोरी किया हुआ ए.सी. का कॉपर वाला पाइप 05 किलो 300 ग्राम व 01 ए.सी, आउटडोर बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर चोरी करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा 12 शातिर अपराधियो के विरूद्ध गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री जे0 रविंदर गौड व श्रीमान पुलिस उपायुक्त नगर महोदय, कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री धवल जायसवाल के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा

रहे अभियान के क्रम में अपराध नियंत्रण हेतु 12 शातिर अपराधियो के विरूद्ध गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है जिनके विरुद्ध विभिन्न थानो पर लगभग 45 अभीयोग पंजीकृत है।

क्र0सं0	**अपराधी का नाम**	**थाना**
1	अमन उर्फ मोमबत्ती पुत्र चमन निवासी इस्लाम नगर थाना कोतवाली नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष।	कोतवाली
2	अमन पुत्र नौशेर निवासी गली नं0-01 कैला खेड़ा सादिक की पुलिया थाना कोतवाली नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष।	कोतवाली
3	सुनिल चातर पुत्र सुभाष चातर निवासी हिन्द नगर कालोनी थाना कोतवाली नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष।	कोतवाली
4	अनस कुरैशी उर्फ डीके पुत्र चमन निवासी इस्लाम नगर थाना कोतवाली नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष।	कोतवाली
5	नीरज शर्मा पुत्र परमानन्द शर्मा निवासी ए 266 सै0 11 प्रतापविहार थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 50 वर्ष।	विजयनगर
6	केतन कुमार यादव उर्फ हप्पी यादव पुत्र कैलाश चन्द्र निवासी जी 253 ए सै0 11 प्रतापविहार थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 31 वर्ष।	विजयनगर
7	प्रियम यादव पुत्र शिवदेश यादव नि0 एल 317 सै0 12 प्रतापविहार थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष।	विजयनगर
8	अंकित कुमार पुत्र चमनलाल नि0 141 शुब्बनपुरा पटेलमार्ग,पटेलनगर थाना सिहानीगेट कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष।	सिहानीगेट
9	अनिल कुमार पुत्र भीम सिंह नि0 जी-182 पटेलनगर तृतीय थाना सिहानीगेट कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 51 वर्ष।	सिहानीगेट
10	सुन्दरपाल पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम गढी (ढरगल) प्राइमरी स्कूल के पास थाना नन्दग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 44 वर्ष।	नन्दग्राम
11	पृथ्वीराज पुत्र शैलेन्द्र नि0 13/16 राजनगर थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष।	कविनगर
12	पीयूष उर्फ बुट्टू पुत्र ब्रदी प्रसाद नि0-ए-33 गली नं0 8 बालाजी एन्कलेव कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 29 वर्ष।	कविनगर

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी करने वाली अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से कुल 220 ग्राम अवैध स्मैक बरामद।

दिनांक 09.09.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी करने वाली अभियुक्ता ज्योति पत्नी दीपक उर्फ राजू निवासी लाल क्वार्टर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष को रिछपाल गढी की पुलिया के पास थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता के कब्जे से कुल वजन 220 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरुद्ध धारा 08/21 एनडीपीएसएक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्ता से पूछताछ करने पर बताया कि मैं चोरी छिपे दिल्ली से स्मैक लेकर आती हूं तथा मौका पाकर राह चलते व्यक्तियों को स्मैक की पुडिया बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा लेती हूं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

ज्योति पत्नी दीपक उर्फ राजू निवासी लाल क्वार्टर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्ता के विरूद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा थाना विजयनगर पर NDPS ACT का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपाराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

कुल वजन 220 ग्राम अवैध स्मैक

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार तथा 01 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया।

दिनांक 08.09.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.शक्ति, 2. राहुल 3.अंकित व एक अन्य साथी द्वारा एक राय होकर षड़यन्त्र रचकर पवन मलिक के कहने पर वादी के भाई को जान से मारने की नीयत से देशी तमंचा से कान के पीछे गोली मार देना जिससे वादी के भाई का गम्भीररूप से घायल हो जाना व वादी की माँ को जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा 109(1)/351(2)/61(2)/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 10.09.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मैनअल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अंकित पुत्र रमेश चन्द निवासी अमर कॉलोनी थाना ज्योतिनगर दिल्ली उम्र करीब 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा 01 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त व बाल अपचारी ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमारा वादी से पूर्व से विवाद था जिसे लेकर हमारा आपस में झगड़ा हो रहा था और शक्ति ने वादी के भाई के गोली मार दी थी उसके बाद हम वहां से भाग गये।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम व पता –

अंकित पुत्र रमेश चन्द निवासी अमर कॉलोनी थाना ज्योतिनगर दिल्ली उम्र करीब 23 वर्ष।

वांछित अभियुक्तगण का विवरण-

1.शक्ति पता नामालूम

2.राहुल पता नामालूम

3.पवन मलिक पता नामालूम

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

दिनांक 16.08.2025 से दिनांक 09.09.2025 तक ऑपरेशन क्लीन - 02 के अन्तर्गत नगर जोन के 06 थानों में लम्बित चल रहे 220 माल वाहनों का नियमानुसार निस्तारण किया गया है

कमिश्नरेट गाजियाबाद में नगर जोन के थानों पर लम्बित चल रहे मालों के निस्तारण हेतु ऑपरेशन क्लीन - 02 के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस आयुक्त एवं पुलिस उपायुक्त नगर जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में दिनांक 16.08.2025 से नगर जोन के 06 थानों में लम्बित चल रहे मालों (वाहन) के निस्तारण हेतु दिनांक 16.08.2025 से दिनांक 09.09.2025 तक कुल 220 माल वाहनों का निस्तारण नियमानुसार किया गया है। जिनके निस्तारण से कुल 5,33,100 रुपये (पाँच लाख तैतींस हजार सौ रूपये) राजस्व की प्राप्ति हुई है जो निम्नवत है:-

थाना कोतवाली नगर		
क्र0सं0	**विवरण माल**	**निस्तारण मालो की संख्या**
1	वाहन लावारिस	7
2	वाहन एमवीएक्ट	5
3	वाहन माल मुकदमाती	2
	कुल कीमत	68500 रूपये
थाना विजय नगर		
1	वाहन लावारिस	15
2	वाहन एमवीएक्ट	24
3	वाहन माल मुकदमाती	8
	कुल कीमत	61000 रूपये
थाना सिहानी गेट		
1	वाहन लावारिस	15
2	वाहन एमवीएक्ट	34
3	वाहन माल मुकदमाती	0
	कुल कीमत	1,76,000 रूपये
थाना नन्दग्राम		
1	वाहन लावारिस	8
2	वाहन एमवीएक्ट	4
3	वाहन माल मुकदमाती	8
	कुल कीमत	46,000 रूपये
थाना कविनगर		
1	वाहन लावारिस	7
2	वाहन एमवीएक्ट	18
3	वाहन माल मुकदमाती	25

	कुल कीमत	1,39,600 रूपये
थाना मधुबन बापूधाम		
1	वाहन लावारिस	13
2	वाहन एमवीएक्ट	19
3	वाहन माल मुकदमाती	8
	कुल कीमत	42,000 रुपये
	कुल योग वाहन	**220**

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को पुलिस हिरासत में लिया गया, कब्जे से चोरी की 02 मोटर साइकिल बरामद ।

कार्यवाही का विवरणः- आज दिनांक 10.09.2025 को थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त 1. शिवम पुत्र रोहताश निवासी गली न0 5 प्रकाश नगर थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष व 2. शारिक पुत्र शाकिर हुसैन निवासी गांधी चौक कैलाश नगर गली न0 14 थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष एवं 01 बाल अपचारी को इन्दिरापुरम अण्डरपास से चोरी की 02 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया तथा आज इसी क्रम में अभियुक्त अमित पुत्र वीर सिह निवासी गली न0 5 प्रकाश नगर खोड़ा कॉलोनी थाना खोड़ा गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष को मुखबिर की सूचना के आधार पर उसके मस्कन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तीनों अभियुक्त व 01 बाल अपचारी के विरुद्ध धारा 317 (2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार तीनों अभियुक्त व 01 बाल अपचारी से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त शिवम, बाल अपचारी व अमित मामा आपस में रिस्तेदार हैं। अभियुक्त शिवम, बाल अपचारी व अमित मामा अलग-अलग जगह से मोटर साइकिल चोरी कर उन्हें सुनसान जगहों पर छुपा देते हैं और कुछ दिन बाद मौका देखते ही मनीष व शारिक निवासी विजयनगर को 5 हजार रुपये में बेच देते हैं। शारिक खरीदी हुई चोरी की मोटर साइकिल से पार्ट्स निकालकर रिपेयरिंग के लिये आने वाली मोटर साइकिल में लगा देता है। इसी क्रम में आज बरामद चौरी की मोटर साइकिल को शारिक को देने जा रहे थे कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड लिया। अभियुक्त अमित मामा पहले भी कई बार जेल जा चुका है अभी कुछ दिन पहले ही एक मोटर साइकिल लाल बहादुर शास्त्री हास्पिटल दिल्ली से चुराई थी। जिसे हम लोगों ने मनीष को बेच दिया था। मनीष ने बरामद मोटर साइकिल के पार्ट्स निकालकर बेचने के लिये शारिक को दिया था। जिसे शारिक ने अपनी दुकान में छिपा कर रख था। जिसे चोरी की मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त मनीष की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर लगातार प्रयास किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. शिवम पुत्र रोहताश निवासी गली न0 5 प्रकाश नगर थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।
2. शारिक पुत्र शाकिर हुसैन निवासी गांधी चौक कैलाश नगर गली न0 14 थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

3. अमित पुत्र वीर सिह निवासी गली न0 5 प्रकाश नगर खोड़ा कॉलोनी थाना खोड़ा गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी की 02 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार दोनों अभियुक्त शिवम पुत्र रोहताश, अमित पुत्र वीर सिंह व 01 बाल अपचारी उपरोक्त के विरूद्ध थाना खोडा पर चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 01 अभियोग व दिल्ली में चोरी के सम्बन्ध 02 अभियोग पंजीकृत है। कुल 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- गिरफ्तार अभियुक्त शारिक पुत्र शाकिर हुसैन उपरोक्त के विरुद्ध थाना खोडा पर चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना खोडा पुलिस टीम।

थाना विजयनगर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के 100 सम्भ्रान्त व्यक्तियों से संवाद स्थापित कर पुलिस की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

आज दिनांक 10.09.2025 को पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद महोदय के आदेश के अनुपालन एवं पुलिस उपायुक्त नगर महोदय के पर्यवेक्षण में, सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली नगर एवं प्रभारी निरीक्षक थाना विजयनगर के द्वारा उत्सव भवन हॉल में 100 से अधिक सम्भ्रान्त व्यक्तियों से संवाद स्थापित किया गया जिसमें थाना क्षेत्र के सम्भ्रान्त व्यक्ति, पार्षद, डाक्टर, व्यापारी, उद्योगपति, मीडियाकर्मी, राजनैतिक दलों, मीडिया इन्फल्यूयेंशर एवं सामाजिक कार्यकता एवं दल के व्यक्ति शामिल हुये जिसमें सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली नगर द्वारा कमिश्नरेट गाजियाबाद में प्रचलित पुलिस बीट प्रणाली के सम्बन्ध में अवगत कराया गया तथा थाना विजयनगर क्षेत्र में सभी बीएसआई/बीपीओ के नम्बर आदान प्रदान कराये गये तथा अवगत कराया गया कि यदि बीट एसआई / बीपीओ द्वारा पासपोर्ट सत्यापन , शिकायत , चरित्र सत्यापन , किरायेदार सत्यापन आदि की जांच के सम्बन्ध में कोई लाभ लेने के लिये बात की जाती है तो तत्काल उसकी सूचना उच्चाधिकारीगणों को दे। सभी को सूचित किया गया है कि सत्यापन समयवधि के अन्दर पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है जिसका फीडबैक पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा गठित फीडबैक टीम द्वारा भी लिया जाता है। बीट कर्मचारीगणों द्वारा अपनी अपनी बीट के अपराधियों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। सभी के डोजियर भरे जा रहे जिससे अपराध में काफी गिरावट आयी है। सभी सम्भ्रान्त व्यक्तियों से अनुरोध किया गया कि यदि किसी प्रकार का कोई अपराधी गली मौहल्ले या क्षेत्र में रहता हो तो तत्काल उसके सम्बन्ध में थाने पर अवगत कराये ताकि उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा सके। थाना विजयनगर पर शिकायतकर्ता द्वारा पंजीकृत अभियोग की FIR की प्रति वादी मुकदमा के घर पर जाकर बीएसआई/बीपीओ के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है। इस कार्य से आम जनमानस द्वारा कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस की भूरि भूरि प्रशंसा की जा रही है । पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद महोदय द्वारा अधिकारियों/थानाध्यक्षो को आदेशित किया गया है कि समय 10.00 बजे से 14.00 बजे तक अपने अपने कार्यालय / थानों पर प्रत्येक शिकायतकर्ता को स्वयं सुनेगे तथा जनसुनवाई को दैरान ऑनलाईन मीटिंग से जुडे रहेगे जिससे मुख्यालय

पर उपस्थित होने वाले फरियादियों की शिकायतों के सम्बन्ध में तत्काल सम्बन्धित थाना प्रभारी एवं अन्य अधिकारियों से वार्ता कर शिकायत का त्वरित एवं निष्पक्ष निस्तारण किया जा सके के सम्बन्ध में समभ्रान्त व्यक्तियों को अवगत कराया गया है। थाना विजयनगर क्षेत्र में अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिये थाने की चीता मोबाईल 24 घण्टे भ्रमणशील रहती तथा थाना विजयनगर क्षेत्र में पुलिस द्वारा मुख्य मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमरो स्थापित किये गये जिसकी मॉनीटिरिंग थाना विजयनगर पर कट्रोल रूम बनाकर पुलिस कर्मचारी द्वारा की जा रही है तथा यू0पी0 – 112 पुलिस द्वारा भी शिकायतकर्ता की शिकायत के तुरन्त बाद औसतन 03.30 मिनट में आवेदक के पास पहुचती जिससे शिकायतकर्ता को सहायता पहुंचायी जाती है। समभ्रान्त व्यक्तियों को अवगत कराया गया कि यदि उनके मौहल्ले एवं क्षेत्र में किसी प्रकार की प्रतिकूल सूचना प्राप्त होती है तो तुरन्त यू0पी0 112 डायल करे ताकि पुलिस समय से पहुंचकर जनता के व्यक्तियों की सहायता कर सके। थाना विजयनगर क्षेत्र में यातायात को बेहतर बनाने के लिये मुख्य मुख्य चौराहों एवं जगहों पर यातायात पुलिस नियुक्त है तथा भीड़भाड़ एवं बाजार वाले क्षेत्र में विजयनगर पुलिस द्वारा भी यातायात को बेहतर बनाने के लिये समय समय पर ड्यूटी लगाकर यातायात बेहतर किया जाता है। थाना विजयनगर क्षेत्र में सड़को पर अतिक्रमण मुक्त बनाने हेतु अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध 152 BNSS की कार्यवाही की जा रही है जिसमें थाना विजयनगर क्षेत्र से 1200 व्यक्तियों के विरूद्ध 152 BNSS कार्यवाही कर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। थाना विजयनगर पर साईबर अपराध के पीड़ित/शिकायकर्ताओं के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुये अब तक 314129/- रूपये फ्रीज कर शिकायतकर्ताओं को वापस कराये गये तथा साईबर अपराध के सम्बन्ध में थाना विजयनगर साईबर पुलिस द्वारा माह के प्रत्येक बुद्धवार को साईबर अवेयरनेस प्रोग्राम किये जाते है जिसमें आम जनमानस को साईबर अपराध के सम्बन्ध में जानकारी दी जाती है। महिला अपराध एवं घरेलू अपराध की रोकथाम एवं अंकुश हेतु पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा प्रत्येक थाना क्षेत्र में पिंकबूथ बनाया गया है। जनता के व्यक्ति को बताया गया कि महिला सम्बन्धित कोई अपराध होता है तो तुरन्त पिंकबूथ पर सम्पर्क करे। थाना पर प्रत्येक बुद्धवार को जनता / वादी से संवाद दिवस का आयोजन किया जाता है तथा उनकी समस्या का समाधान किया जा रहा है। ऑपरेशन कन्विकशन के तहत जनपद के टॉप – 50 अपराधियों के चिन्हित मुकदमों में मा0न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाये जाने का कार्य किया जा रहा के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी।

थाना विजयनगर क्षेत्र के समभ्रान्त व्यक्तियों के द्वारा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के उक्त पुलिस व्यवस्था की तारीफ की गयी है तथा समभ्रान्त व्यक्तियों के द्वारा कहा गया कि उक्त पुलिस व्यवस्था का आम जनमानस में प्रचार प्रसार किया जायेगा।